<u>न्यायालय : सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक जयपुर, जिला जयपुर</u>

पीठासीन अधिकारी : राहुल शर्मा, आर.जे.एस.

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या : 342/2014

एफआईआर नंबर : 199/2014

राजस्थान राज्य।

——अभियोगी

बनाम

1. मुकेश कुमार पुत्र गुल्लाराम उम्र 28 साल निवासी जाखड़ों की ढाणी तन माच्छरखानी थाना फुलेरा जिला जयपुर।
2. रामधन पुत्र गुल्लाराम उम्र 32 साल निवासी जाखड़ों की ढाणी तन माच्छरखानी थाना फुलेरा जिला जयपुर।
3. प्रेमचन्द पुत्र भूराराम उम्र 30 साल निवासी जाखड़ों की ढाणी तन माच्छरखानी थाना फुलेरा जिला जयपुर।

——अभियुक्तगण

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता</u>

उपस्थितिः—
1. सहायक लोक अभियोजक राज्य की ओर से।
2. श्री हनुमान जाखड़ अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक : 21.03.2024

01. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी संजय जाखड़ दिनांक 13.10.2014 को एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पुलिस थाना फुलेरा मे इस आशय की पेश की कि दिनांक 13.10.2014 को सुबह लगभग 10:15 बजे उसके पिता ट्रेक्टर में डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पम्प जा रहे थे तब मुकेश जाखड़, राकेश जाखड़, रामधन, प्रेमाराम, झुथाराम जाखड़ा ने उसके पिता को रास्ते में जान से मारने की कोशिश की। उसके पिता बचकर वापस अपने घर की ओर आने लगे तो वे लोग उनके घर तक पहुंच गए तथा घर पर मौजूद सभी सदस्यों के साथ सरियों व कुल्हाडी से मारपीट की। इसी दौरान उसके पिता का हाथ का अंगूठा भी कट गया तथा उनकी पसलियों में भी गंभीर चोट आई। अभियुक्तगणों ने घर में मौजूद उसकी भाभी से छेड़छाड़ की और उनके वस्त्र भी फाड़ दिए तथा उनके गले

में मौजूद सोने की चेन और मंगलसूत्र को लेकर भाग गए ....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना नरेना द्वारा एफ आई आर संख्या 199/2014, अन्तर्गत धारा 143,341,323,452,354,382 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसन्धान प्रारम्भ किया गया तथा बाद अनुसन्धान न्यायालय में आरोप पत्र अभियुक्तगण मुकेश कुमार पुत्र गुल्लाराम, रामधन पुत्र गुल्लाराम, प्रेमचन्द पुत्र भूराराम के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 341,323,325/34 भा.दं.सं. में पेश किया गया। आरोप पत्र पेश होने पर उक्त धाराओं में न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया और प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को धारा 341,323,325/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया, समझाया तो अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

03. साक्ष्य अभियोजन के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी0ड0 1 भंवरलाल, पी0ड0 2 संजय, पी डब्ल्यु 3 डालूराम, पी0ड0 4 गोपाल, पी0ड0 5 मुन्ना जाखड, पी0ड0 6 संतोष चौधरी, पी0ड0 7 कानाराम, पी0ड0 8 विक्रम सिंह, पी0ड0 9 मांगीलाल, पी0ड0 10 डॉ. कौशलेश शर्मा, पी0ड0 11 डॉ राहुल, पी0ड0 11 डॉ मनोज बियानी (सहवन से गवाह राहुल व डॉ. मनोज के बयान पर पी0डब्ल्यू 11 अंकित कर दिया गया है) के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1, चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2, अपराध विवरण फॉर्म प्रदर्श पी–3, चोट प्रतिवेदन प्रपत्र डालूराम प्रदर्श पी–4, गोपाल के बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी प्रदर्श पी 5, चोट प्रतिवेदन प्रपत्र श्रीमती संतोष देवी प्रदर्श पी 6, चोट प्रतिवेदन प्रपत्र भंवरलाल प्रदर्श पी 7, एक्स रे रिपोर्ट भंवरलाल प्रदर्श पी–8, एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 9 लगायत 12, चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मुन्ना जाखड़ प्रदर्श पी 13 को प्रदर्शित करवाया।

04. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात अभियुक्तगण के अन्तर्गत धारा 313 दं. प्र.सं. के तहत बयान मुलजिम लेखबद्ध किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा कथन किया कि उन्हे झूंठा फंसाया है।

05. साक्ष्य प्रतिरक्षा के दौरान बचाव पक्ष की ओर से गवाह डी0डब्ल्यू 1 मुकेश जाखड़, डी0डब्ल्यू 2 मोहनलाल, डी0डब्ल्यू 3 राजेन्द्र प्रसाद के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी मुन्नाराम प्रदर्श डी 1, बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी श्रीमती संतोष देवी प्रदर्श डी 2 को प्रदर्शित करवाया।

बहस अन्तिम सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया।

06. न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :—

1. क्या अभियुक्तगण ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक 13.10.2014 को समय सुबह प्रातः 10.00 बजे जाखडों की ढाणी तन माच्छरखानी फुलेरा पर भंवरलाल, मुन्ना, डालूराम, संतोष देवी को इच्छित दिशा में जाते हुए रोककर उनका सदोष अवरोध कारित किया तथा उनके साथ मारपीट करने का सामान्य आशय घटित किया और उक्त आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण द्वारा मजरूबान भंवरलाल, मुन्ना, डालूराम और संतोष देवी के साथ कुन्दालय से मारपीट कर उन्हें साधारण व घोर उपहति कारित की?

2. यदि हॉ तो अभियुक्तगण किस दण्ड का भागी हैं ?

07. अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जावे। जबकि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी गवाह ने अभियोजन कहानी की पुष्टि नही की है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

08. अभियोजन की ओर से अपनी साक्ष्य मे कुल **11** गवाहान परीक्षित करवाये गये जिनमे गवाह पी0 डब्ल्यु0 1 भंवरलाल अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि माह 10 सन 2014 मे करीब 9 बजे सुबह वह ट्रेक्टर मे डीजल डलवाने के लिए उसे चालू कर जा रहा था। ट्रेक्टर के रवाना होते ही रास्ते मे मुकेश, राकेश, प्रेमचंद तीनों ने मोटरसाईकिल को उसके ट्रेक्टर के आगे लगा दिया। वे मोटरसाईकिल पर सवार थे। वे तीनो मोटरसाईकिल से उतरे और ट्रेक्टर पर चढकर उसके साथ मारपीट चालू कर दी। एक व्यक्ति ने उसे पकडकर नीचे पटक दिया। राकेश एवं मुकेश के पास सरिया था और तीसरे के पास कुल्हाडी थी। उसके पडे हुए के ठोकरों से मारा और मुकेश ने कुल्हाडी से वार किया जिससे बाएं हाथ के अंगूठे के चोट आई जिसमे आज भी रोड डली हुई है। अन्य दोनो ने सरिए से जगह—जगह मारी जिससे उसका फ्रेक्चर हो गया। बाएं हाथ के अंगूठे पर सरिए से चोट आई। उसकी पुत्रवधु संतोष, उसका पुत्र मुन्ना आए और बचाने लगे तो इन तीनो ने उनके साथ भी मारपीट की। मारपीट करने वाले झूंथाराम व रामधन भी आ गए। इनके पास लाठी व सरिए थे। इन दोनो ने उसकी पुत्रवधु संतोष व मुन्ना के साथ मारपीट

की। वह घुटनो के बल अपने मकान मे घुस गया तो वहा भी तीनों पहुच गए। उसकी पुत्रवधु संतोष के राकेश व मुकेश ने कपडे फाडे और मंगलसूत्र व चैन भी तोड कर ले गये। उसके पिताजी लकवाग्रस्त है उनके साथ भी सोते हुए के साथ मारपीट की। उसके पिता के पीठ पर चोट आई थी। उसका मेडीकल परीक्षण हुआ। मुकेश, राकेश व रामधन उसे मकान से खींचकर बाहर ले आए। फिर पुनः उसके साथ मारपीट की। फिर दूसरी बहु ने थाने पर फोन किया तब पुलिस वाले आए। वह जयपुर अस्पताल मे भर्ती था। संजय व मुन्ना ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसका जयपुर मे एक रात व एक दिन अस्पताल मे ईलाज चला था।

गवाह पी0 डब्ल्यु0 2 संजय अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि दिनांक 13.10.14 को सुबह सवा दस बजे उसके पिता श्री भंवरलाल ट्रेक्टर लेकर डीजल भराने जा रहे थे। रास्ते मे मुकेश, राकेश, रामलाल धर्मराज व देवानंद मेरे पिताजी का रास्ता रोका। लकडियों कुल्हाडी से एक साथ तीनों ने हमला किया।

गवाह पी0 डब्ल्यु0 3 डालूराम अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि आज से करीब साढे तीन साल पहले की बात है उसका बेटा भंवरलाल खेत मे ट्रेक्टर लेकर गया था, उसके बेटे भंवरलाल के साथ राकेश, मुकेश, रामधन, मोतीराम व और भी दो आदमी थे कुल 5–6 व्यक्तियो ने भंवरलाल के साथ मारपीट की थी। उसने मारपीट होते अपनी आंखो से देखा था। जब ये लोग मारपीट कर रहे थे तब वह वही पर बैठा हुआ था। उसने मारपीट करने से मना किया तो उसके सरिये की मुकेश ने दाहिने पैर पर व पसलियों पर चोटें मारी। उसकी चोटो का मेडीकल हुआ, जो शामिल पत्रावली है। उसका एक्सरे भी कराया। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है।

गवाह पी0 डब्ल्यु0 4 गोपाल अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि आज से करीब 3 साल 7 महीने पहले दिन के करीब 10:15–10:30 बजे के करीब उसे सूचना मिली कि माच्छरखानी मे मारपीट हो रही है। वह माच्छरखानी आया था, भंवरलाल और मुन्नालाल के साथ मारपीट की थी। मारपीट किसने की उसे पता नही। उसने भंवरलाल की चोटें देखी थी। पुलिस बयान प्रदर्श पी 5 का ए से बी भाग सुनकर कहा कि ऐसा उसने पुलिस वालों को बताया था। मुकेश को वह जानता हूॅ। रामधन प्रेमचंद को भी जानता हूॅ। वह लडाई होने के बाद गया था। यह बात सही है कि उसने मात्र मुलजिम मुकेश, रामधन, प्रेमचंद के द्वारा मारपीट करना सुना था।

गवाह पी0 डब्ल्यु0 5 मुन्ना अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि दिनांक 13.

10.2014 की सुबह करीब 10–10.30 बजे का समय था, वह घर से बाहर था। मुकेश, राकेश, रामधन, झूतांराम व पेमाराम उसके घर पर आये और उसके पिता के साथ मारपीट करने लग गये। जब वह घर पर पहुंचा तो उसने पिता को छुड़ाने की कोशिश की। तो मुल्जिमान ने उसके साथ व पिता, दादा–दादी व भाभी के साथ मारपीट की। मुकेश के पास कुल्हाडी थी व बाकी के पास सरिये व लकडिया थी। उसके बायें हाथ पर मुकेश ने चोट मारी व उसे धक्का देकर गिरा दिया जिससे उसके गाल पर व कमर पर भी चोट आई। उसकी भाभी सन्तोष के साथ छेडछाड की। मुकेश व राकेश उसकी भाभी की सोने के चैन व गले का मंगलसूत्र तोडकर ले गये। रिपोर्ट दर्ज करवाने वह थाने पर गया था। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 की पुस्त पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 बनाया जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मेरी चोटो का मेडीकल करवाया था व एक्स रे भी करवाया था जो शामिल पत्रावली है। पुरानी रंजिश को लेकर मुल्जिमान ने हमारे साथ मारपीट की।

गवाह पी0 डब्ल्यु0 6 संतोष चौधरी अपनी साक्ष्य में कथन करती है कि उसके पति आर्मी मे सर्विस करते है। दिनांक 13.10.14 को सुबह 10 बजे वह रसोई मे काम कर रही थी तो बाहर झगडे की आवाज सुनाई दी तो उसने अंदर से ही बाहर देखा कि 4–5 लोग उसके ससुर भंवरलाल को मारपीट रहे थे, उनमे मुकेश, राकेश, झूनाराम, रामधन, प्रेमाराम थे। उनके राकेश के हाथ मे कुल्हाडी, मुकेश के हाथ मे लोहे का सरिया व बाकी लोगो के हाथ मे लाठिया थी। उसके ससुर को बेदर्दी से पीट रहे थे तभी उसका देवर मुन्ना वहां पर आया और उस समय उसके ससुर की हालत गंभीर हो गयी थी। हाथ से खून निकल रहा था। शरीर पर जगह जगह चोटे आ गयी थी। उसके देवर को भी पकडा और उनके साथ मे भी मारपीट करने लगे। फिर वह वहां पर दोडी हुई आयी और वह इनको बचाने लगी तो मुकेश ने उसका हाथ पकड कर खींचा उसके साथ मारपीट की। उसी समय राकेश ने उसकी ओढनी पकड कर खींच ली और मुकेश ने उसके गले से सोने की चैन और मंगलसूत्र छीन लिया। वे घर के अंदर थे। यह सारी घटना घर के अंदर चार दीवारी के अंदर हुई थी। उसके लकवाग्रस्त दादा–दादी को भी मारा तथा उन्होने हाथ जोडकर गुहार की कि उसके बेटा बहु को मत मारो। अपने बचाव के लिए उन्होंने इनको धक्का देकर गेट बंद किया तो ये लोग फिर गेट के धक्का देकर अंदर आ

गये व मारपीट की। हमारी उठने की भी हालत नही रही थी। फिर ये लोग चले गये। वह, उसके ससुर, मुन्ना तीनों व संजय भी थाने मे गये थे। रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पर इ से एफ तथा चोट रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 पर भी इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। उसका मेडीकल हुआ। उसके दाये पैर के घुटने मे तथा दोनो कंधो मे लगी थी तथा पूरे शरीर मे दर्द था। मेडीकल प्रदर्श पी 6 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

गवाह पी0 डब्ल्यु0 7 कानाराम अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि आज से 4 साल पहले 13 तारीख को महिना व सन का पता नही है वह आसलपुर पहाडी पर काम कर रहा था तो उसके पास भंवरलाल का फोन आया कि उसके मुकेश, कैलाश ने मारपीट की। वह अकेला फुलेरा अस्पताल आया और एसएमएस अस्पताल जयपुर ले गये। मुन्ना व संतोष को शाम को छुट्टी मिल गयी व भंवरलाल को 14 को छुटटी मिल गयी थी। भंवरलाल के हाथ पर चोट आयी थी। झगडा उसने नही देखा। किस बात का झगडा था, उसे पता नही।

गवाह पी0 डब्ल्यु0 8 विक्रम सिंह अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि वह दिनांक 14.10.14 को थाना फुलेरा मे थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन परिवादी संजय व उसके साथ मुन्ना संतोष व भंवरलाल ने उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट पेश की जो प्रदर्श पी 1 है जिस पर जी से एच कार्यवाही पुलिस का नोट व आई से जे उसके हस्ताक्षर है। अभियोग संख्या 199 / 14 मे मुकदमा दर्ज कर तफतीश श्री मांगीलाल एएसआई के जिम्मे की। चाक एफआईटार प्रदर्श पी 2 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

गवाह पी0 डब्ल्यु0 9 मांगीलाल अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि दिनांक 14.10.2014 को प्रार्थी संजय जाखड. की दी गई रिपोर्ट पर एसएचओ 1.2 विक्रम सिंह तंवर ने मु.न. 199 / 2014 धारा 143, 341, 323, 452, 354, 382 आईपीसी दर्ज कर अनुसंधान मुझे सुपुर्द किया। दौराने अनुसंधान घटना स्थल का नक्शा मौका गवाहान के समक्ष जरिये प्रदर्श पी3 मौके पर मुर्तिब किया जिस पर ई से एफ भाग पर हालात मौका अंकित हैं तथा जी से एच पर उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान प्रार्थी संजय जाखड गवाह भंवरलाल जाखड मुन्नाराम जाखड संतोष देवी डालुराम गोपाल कानाराम के बयान धारा 161 सीआरपीसी मे उनके कथनानुसार लिए गए। मजरूबान भंवरलाल मुन्नाराम डालुराम संतोष देवी का मेडिकल मुआयना तथा भंवरलाल मुन्नाराम तथा डालुराम की एक्सरे रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। बाद तफतीश मुल्जिमान मुकेश कुमार रामधन प्रेमचंद के खिलाफ धारा 323, 341,

325, 34 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली श्रीमान एसएचओ साहब को सुपुर्द की गई। चार्जशीट के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी भाग पर थानाधिकारी विक्रम सिंह के हस्ताक्षर हैं। जिसके अधीनस्थ होने के कारण वह उनके हस्ताक्षर पहचानता हूं।

गवाह पी0 डब्ल्यु0 10 डॉ0 कौशलेश शर्मा अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि वह दिनांक 14.10.2014 को सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र फुलेरा में चिकित्साधिकारी के पद पर था। पुलिस प्रतिवेदन पर उसके द्वारा श्रीमति संतोष देवी पत्नि राजू जाखड के चोंटो का मुआयना किया गया, जो प्रदर्श पी 6 है, जिनकी चोंटो का विवरण निम्न प्रकार हैं– चोट नं. 01 दाहीने घुटने पर नील का निशान, चोंट नं. 02 दोनो कंधो में दर्द की शिकायत, चोंट नं. 03 कमर में दर्द की शिकायत थी, उक्त सभी चोंटे साधारण प्रकृति की व कूंद हथियार से कारित थी। प्रदर्श पी 6 पर ए से बी मजरूबान के व सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

गवाह पी0 डब्ल्यु0 11 डॉ0 राहुल अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि दिनांक 15.10.2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फुलेरा मे मेडीकल ऑफिसर के पद पर था, उस दिन पुलिस प्रतिवेदन पर डालूराम के शरीर पर आई चोटो का मुआयना किया जिसमे चोट नंबर 1. खरोंच पीठ के नीचे वाले दायें तरफ, चोट नंबर 02. खरोच दायें कुल्हे पर, चोट नंबर 03. खरोंच बाये कुल्हे पर, तीनो चोटो के एक्सरे हेतु कहा गया। एक्सरे कराने पर यह चोटें सामान्य प्रवृत्ति की है। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर मजरूब की अंगूठा निशानी है।

गवाह पी0 डब्ल्यु0 11 डॉ0 मनोज बियानी अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि वह दिनांक 13.10.2014 को सीएचसी फुलेरा मे एम ओ के पद पर कार्यरत था। उस रोज उसने पुलिस प्रतिवेदन पर 12:20 पीएम पर मजरूब भंवर लाल पुत्र डालूराम जाट निवासी जाखडो की ढाणी माछर खानी पीएस फुलेरा का मेडिकल मुआयना किया जिसमे चोटे निम्न प्रकार से है– चोट संख्या 1 दाई कोहनी पर सूजन 1 सेमी बाई 1 सेमी। चोट संख्या 2 दाई अग्रभुजा पर खरोंच और सूजन 3 सेमी बाई 1/2 सेमी। चोट संख्या 3 दाए हाथ मे दर्द की शिकायत जिसमे कोई सूजन नही थी। चोट संख्या 4 बाए हाथ मे दर्द की शिकायत और सूजन। चोट संख्या 5 बाए घुटने मे दर्द की शिकायत। सभी चोटे कुंद हथियार से कारित थी । चोटो की अवधि छ घंटे के भीतर की थी। चोट संख्या 1 लगायत 5 के लिये एक्स

रे की राय दी गई। बाद एक्स रे चोट संख्या 1,2 व 5 साधारण प्रकृति की थी, 3 व 4 गंभीर प्रकृति की थी। यह चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 7 उसका कलमी है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एक्स रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 है जिस पर ए से बी उसकी राय है व सी से डी उसके हस्ताक्षर है, एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी 9 लगायत 12 है जो शामिल पत्रावली है। उसी रोज उसने मजरूब मुन्ना राम पुत्र भंवर लाल जाट निवासी जाखडो की ढाणी माच्छर पीएस फुलेरा के शरीर पर आई चोटो का मुआयना किया जिसके शरीर पर निम्न चोटे पाई गई। चोट संख्या 1 कुचला हुआ घाव बाई अग्र भुजा पर जिसकी साइज 1 सेमी बाई 1/2 सेमी बाई 1/2 सेमी है। चोट संख्या 2 खरोंच चेहरे के दाई तरफ गाल पर 2 सेमी बाई 2 सेमी। चोट संख्या 3 सूजन कमर के बाई तरफ 3 सेमी बाई 3 सेमी। चोट संख्या 4 छाती मे दर्द की शिकायत। कोई जाहिरात चोट नही। सभी चोटे कुंद हथियार से कारित थी । चोट संख्या 2 साधारण प्रकृति की थी। सभी चोटे छ घंटे के भीतर की थी। चोट संख्या 1,3 व 4 की प्रकृति जानने के लिये एक्स रे की राय ली गई। बाद एक्स रे सभी चोटे साधारण प्रकृति की पाई गई। यह चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 13 उसका कलमी है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

09. बचाव पक्ष की ओर से अपनी साक्ष्य में कुल 03 गवाहान परीक्षित करवाये गये जिनमें से गवाह डी0डब्ल्यू 1 मुकेश जाखड अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि दिनांक 13.10.2014 को गांव के तेजाजी के मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण हटवाने बाबत मीटिंग हुई थी, यह मीटिंग तेजाजी के मंदिर पर ही हुई थी। मंदिर की जमीन पर भंवरलाल पुत्र डालुराम व उनके बेटों संजय, मुन्नाराम के द्वारा अतिक्रमण किया गया था। हर परिवार से एक एक मुखिया मीटिंग में आया था, गांववालो ने भंवरलाल को बुलाया था और उसको कहा कि मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाओं, वह भी वहा पर मौजूद था, इस बात को लेकर वह गांववालो से गाली-गलौच करने लगा, उसने बीच-बचाव कराया तो उसके साथ भंवरलाल, व उसके पुत्र संजय व मुन्नाराम ने उसके साथ लाठियों से मारपीट की, उसके सिर व नाक पर चोटें आई, गांव के आदमियों में मोहनलाल, राजेन्द्र, पेमाराम, राकेश, भोलूराम, कज्जू, बालूराम, सुआलाल, कन्हेयालाल, भींवाराम, गोपाल लाल, पन्नाराम व गांव के अन्य काफी लोग मौजूद थे। उसके गांव वालों ने व मोहनलाल, राजेन्द्र व अन्य ने बीच-बचाव कराया। घटना से 15-20 दिन पहले भवंरलाल फुलेरा रोड के

पास रणसिंहपुरा के पास मोटरसाईकिल से गिर गया था, इस कारण भंवरलाल के हाथ व अंगूठे में फ्रेक्चर आया था, भंवरलाल ने उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, उसने भी भंवरलाल के खिलाफ पुलिस थाना फुलेरा मे मुकदमा नं0 196/2014 दर्ज कराया था, जिसमें भंवरलाल, संजय, मुन्नाराम व संतोष देवी को दोषी करार दिया गया था, निर्णय की नकल प्रदर्श डी 01 है, शपथ पत्र प्रदर्श डी 02 लगायत 09 ग्राम पंचायत जोरपुरा में भंवरलाल के खिलाफ शिकायत करी थी, वह है। ग्रामवासियों ने भंवरलाल के खिलाफ पंचायत में शिकायत करी थी, अतिक्रमण हटाने का भंवरलाल को नोटिस दिया था, वार्डपंच ने मौका रिपोर्ट तैयार करी थी, विकास अधिकारी ने पंचायत को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, भंवरलाल अपराधी किस्म का आदमी था, कृषि महाविद्यालय जोबनेर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, इसके खिलाफ धारा 122 की कार्यवाही करी थी, जेल किया था, महाविद्यालय ने इसे निलम्बित भी किया था, जिसके आदेश की प्रति है। ग्राम पंचायत ने इसे भंवरलाल को अतिक्रमी घोषित किया था।

गवाह डी0डब्ल्यू 2 मोहनलाल अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि दिनांक 13.10.2014 की सुबह 10 बजे के आस–पास की घटना है। तेजाजी के मंदिर पर गांव वाले इकठ्ठे हुए थे, हर घर से एक व्यक्ति आया था, भंवरलाल व उसके बेटो ने तेजाजी के मंदिर की जमीन पर अवैद्य कब्जा कर लिया था, गांव वालो ने उनको मीटिंग में बुलाकर समझाया, जिसपर भंवरलाल व उसके बेटे संजय व मुन्ना ने गांववालो के साथ गाली–गलौच करने लगे, उनको समझाया तो भंवरलाल व उसके दोनों बेटे मारपीट पर उतारू हो गये, उनके पास में मुकेश फौजी खड़ा था, वहां पर तेजाजी के झण्डियो की लकड़िया पड़ी थी, उन तीनो ने उन लकड़ियो से मुकेश पर वार कर दिये, मुकेश के नाक व सिर में चोटें आई थी, मुकेश घटनास्थल पर गिर गया था, मुकेश, रामधन व प्रेमचंद ने भंवरलाल के साथ कोई मारपीट नहीं करी, उसने मुकेश का बीच–बचाव कराया था। गांव के 40–50 लोग इकठ्ठे थे, जिनमें कन्हेयालाल, मालचंद, गोपाल, कज्जूराम, भोलूराम, सुआलाल, सोहन, पन्नालाल, मोहनलाल, राजेन्द्र, पेमाराम, भीवांराम व अन्य काफी लोग थे। भंवरलाल अपराधी किस्म का आदमी है, पहले भी जेल जा चुका है, इसे सजा भी हो चुकी है, पंचायत ने इसे मंदिर की जमीन का अतिक्रमी भी घोषित किया था। घटना से 10–12 दिन पहले भंवरलाल आडे गेले पर मोटरसाईकिल से गिर गया था, जिससे गिरने से हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, भंवरलाल ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, इसके साथ कोई

मारपीट नहीं हुई, मोटरसाईकिल से गिरने से चोटें आई थी। भंवरलाल महाविद्यालय में भी चोर प्रवृति का आदमी है, इस कारण इसे निलम्बित किया जा चुका है।

गवाह डी0डब्ल्यू 3 राजेन्द्र प्रसाद अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि दिनांक 13.10.2014 की सुबह 10 बजे के आस–पास की घटना है। तेजाजी के मंदिर पर गांव वाले मीटिंग के लिए इकठ्ठे हुए थे, मीटिंग में वह भी मौजूद था, हर घर से एक व्यक्ति मोजिज व्यक्ति आया था, भंवरलाल व उसके बेटो ने तेजाजी के मंदिर की जमीन पर अवैद्य कब्जा कर लिया था, गांव वालो ने उनको मीटिंग में बुलाकर अतिक्रमण हटाने को कहा था, जिसपर भंवरलाल व उसके बेटे संजय व मुन्ना ने गांववालो के साथ गाली–गलौच करने लगे, उनको समझाया तो भंवरलाल व उसके दोनों बेटे मारपीट पर उतारू हो गये, मुकेश के साथ इन्होने लाठियों से मारपीट करी थी, मुकेश के नाक व सिर में चोटें आई थी, मुकेश घटनास्थल पर गिर गया था, मुकेश, रामधन व प्रेमचंद ने भंवरलाल के साथ कोई मारपीट नहीं करी, उसने मुकेश का बीच–बचाव कराया था। गांव के 40–50 लोग इकठ्ठे थे, जिनमें सुआलाल, गोपाल, मोहन, शंकर, मोतीराम, भोलूराम, नन्दाराम, हनुमान, भगवान सहाय, मोहनलाल पुत्र धन्नालाल, रामेश्वर, रामचन्द्र अन्य काफी लोग थे। भंवरलाल अपराधी किस्म का आदमी है, पहले भी जेल जा चुका है, इसे सजा भी हो चुकी है, पंचायत ने इसे मंदिर की जमीन का अतिक्रमी भी घोषित किया था। घटना से 10–12 दिन पहले भंवरलाल रणसिंह पुरा के पास आडे गेले पर मोटरसाईकिल से गिर गया था, जिससे गिरने से हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, भंवरलाल ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, इसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई, मोटरसाईकिल से गिरने से चोटें आई थी।

09. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करें तो हम यह पाते हैं कि अभियोजन ने अपने पक्षकथन को साबित करवाने हेतु मजरूब भंवरलाल को पी0डब्ल्यू 1 के रूप में परीक्षित करवाया है। भंवरलाल पी0डब्ल्यू 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किए हैं कि माह 10 सन 2014 की बात है। करीब 9.00 बजे सुबह की बात है। वह ट्रेक्टर में डीजल भरवाने के लिए जा रहा था। ट्रेक्टर के रवाना होते ही रास्ते में मुकेश, राकेश एवं प्रेमचंद तीनों ने मोटरसाईकिल को उसके ट्रेक्टर के आगे लगा दिया। वे तीनों मोटरसाईकिल से उतरे और ट्रेक्टर पर चढकर उसके साथ मारपीट चालू कर

दी। एक व्यक्ति ने उसे पकडकर नीचे पटक दिया। राकेश व मुकेश के पास सरिया था और तीसरे के पास कुल्हाडी थी। उसके पडे हुए के उन्होंने ठोकरों से मारी और मुकेश ने कुल्हाडी से वार कर दिया जिससे बाएं हाथ के अंगूठे पर चोट आई जिसमें आज भी रोड डली हुई है। अन्य दोनों ने सरियों से जगह–जगह मारा जिससे उसके फ्रैक्चर हो गया। बाएं हाथ के अंगूठे पर सरिये से चोट आई। उसकी पुत्रवधू संतोष, उसका पुत्र मुन्ना दोनों आए और बचाने ले तो उन तीनों ने इनके साथ भी मारपीट की। मारपीट करने वाले झूंथाराम व रामधन भी आ गए। इनके पास लकडी व सरिये थे। इन दोनों ने उसकी पुत्रवधू संतोष व मुन्ना के साथ मारपीट की। वह घुटने के बल अपने मकान में घुस गया तो वहां भी तीनों पहुंच गये। उसकी पुत्रवधू संतोष के राकेश व मुकेश ने कपडे फाडे और मंगलसूत्र व चेन तोडकर ले गए। उसके पिता जी लकवाग्रस्त है। जिनके साथ भी इन लोगों ने मारपीट की। उसके पिता के पीठ पर चोटें आई थीं। मुकेश, राकेश व रामधन उसे मकान से खींचकर बाहर ले आए फिर पुनः उसके साथ मारपीट की। उसका जयपुर में एक रात व एक दिन अस्पताल में इलाज चला। जिरह के दौरान गवाह ने कथन किए हैं कि राकेश ने उसके साथ सरियों से मारपीट की थी। प्रेमाराम ने उसके शरीर पर 10–15 चोटें मारी थीं। वह बेहोश हो गया था इसलिए नहीं बता सकता कि किसने कहा चोटें मारीं। उसके बाएं हाथ पर 10–15 चोटें आई थी। दाहिनी हाथ के कंधे पर चोट आई थी। बाएं पैर पर उसके कोई चोट नहीं थी। दाहिने पैर पर घुटने पर तीन–चार चोटें आई थीं। पीठ और छाती पर भी चोटें आई थीं। किस–किस ने कहां–कहां चोटें मारी उसे अलग–अलग ध्यान नहीं है। उसके पिता जी डालूराम के शरीर पर भी पांच–सात चोटें आई थीं, जो पैरों पर आई थी। पीठ पर भी चोटें आई थी। उसकी बहू संतोष के भी दस–बीस चोटें आई थीं। मुन्ना के पांच–दस चोंटे आई थीं जो मुंह पर, हाथों पर, पैरों पर, पीठ पर आई थीं। उसका बेटा संजय मौके पर नहीं था। संजय जयपुर गया हुआ था। उसके शरीर पर दो–तीन फ्रैक्चर आए थे। इस प्रकार गवाह की जिरह अखण्डित रही। गवाह अपने बयान में स्पष्ट रूप से कथन करता है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ मारपीट की जिससे उसके बाएं हाथ के अंगूठे में चोट आई। अभियुक्तगण ने उसे सरियों से मारा। उसके बाएं हाथ के अंगूठे पर सरिये से चोट आई थी। अभियुक्तगण ने उसके पुत्र मुन्ना, पुत्रवधू संतोष, उसके पिता डालूराम के साथ भी मारपीट की थी। मजरूबा संतोष चौधरी न्यायालय में पी0डब्ल्यू 6 के रूप में परीक्षित हुई। गवाह ने

अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किए हैं कि दिनांक 13.10.2014 को सुबह 10.00 बजे की बात है। वह रसोई में काम कर रही थी तो उसे बाहर झगडे की आवाज सुनाई दी। उसने अंदर से ही देखा तो चार–पांच लोग उसके ससुर भंवरलाल के साथ मारपीट कर रहे थे। उनमें से मुकेश जाखड, राकेश जाखड, झूंथाराम, रामधन व पेमाराम थे। राकेश के हाथ में कुल्हाडी थी, मुकेश के हाथ में लोहे का सरिया था और बाकी लोगों के हाथ में लकड़ियां थी। वे लोग उसके ससुर को बेदर्दी से पीट रहे थे। तभी उसका देवर मुन्ना जाखड वहां पर आ गया और उस समय उसके ससुर की हालत गंभीर हो गई थी। उसके हाथों से खून निकल रहा था। शरीर पर जगह–जगह चोटें आई थी। उसके देवर के साथ में भी मारपीट की गई। फिर वह वहां दौडती हुई आई और उनको बचाने लगी तो मुन्ना जाखड ने उसका हाथ पकडकर खींचा और उसके साथ मारपीट की। उसी समय राकेश ने उसकी ओढनी पकडकर खींच ली और मुन्ना ने उसके गले से चेन और मंगलसूत्र को छीन लिया। सारी घटना घर के अंदर चारदीवार में हुई थी। अभियुक्तगण ने उसके लकवाग्रस्त दादा दादी को भी मारा तथा उन्होंने हाथ जोडकर गुहार की कि उनके बेटे–बहू को मत मारो। अपने बचाव के लिए इन लोगों को धक्का देकर गेट बंद किया तो ये लोग फिर गेट के धक्का देकर अंदर आ गए और मारपीट की। गवाह अपनी जिरह में कथन करती है कि अभियुक्तगण ने झगडा मकान के अंदर किया था। वह रसोई से ही मारपीट होते देख रही थी। मारपीट उसके मकान के बरामदे के अंदर की थी। मारपीट आधे घण्टे तक चली थी। रामधन लाठी से मारपीट कर रहा था। पांचों व्यक्ति ही अदल–बदल कर मारपीट कर रहे थे। उसके दाहिनी घुटने पर एक–दो चोटें आई थी। उसके कंधे पर चार–पांच लाठी से चोट आई थी। उसकी पीठ पर आठ–दस लकड़ियों की चोट आई थी। उसके पैर के घुटने पर लाठियों के निशान आए थे। उसके कंधों पर कोई चोट नहीं आई, दर्द आया था। यह कहना गलत है कि तेजाजी की जमीन पर कब्जे को लेकर झगडा हुआ था। इस प्रकार गवाह की जिरह अखण्डित रही। गवाह ने अपने बयान में अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ, उसके ससुर भंवरलाल व देवर मुन्ना व उसके दादा–दादी के साथ मारपीट होने के कथन किए हैं। घटना का अन्य मजरूब डालूराम पी0डब्ल्यू 3 के रूप में परीक्षित हुआ। गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किए हैं कि उसका बेटा भंवरलाल खेत से ट्रेक्टर लेकर गया हुआ था। उसके बेटे के साथ राकेश, मुकेश, रामधन, मोतीराम कुल पांच–छः व्यक्तियों ने

मारपीट की थी। उसने मारपीट होते अपनी आंखों से देखा था। जब ये लोग मारपीट कर रहे थे तब वह घर पर था। उसने मारपीट करने से मना किया तो सरिये से मुकेश ने उसके दाहिने पैर पर व पसलियों पर चोटें मारी। उसकी चोटों का मेडिकल मुआयना करवाया गया था। उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। गवाह ने जिरह में कथन किए हैं कि जब झगडा हुआ तब वह घर पर ही था। वह चल फिर नहीं सकता। वह लेटा हुआ था। झगडा घर के अंदर हुआ। झगडे के बाद भंवरलाल को एसएमएस अस्पताल ले जाया गया। तेजाजी के मंदिर की जमीन को लेकर विवाद हुआ था। मारपीट करने में मुकेश, राकेश, झूंथाराम था। मोहन नहीं था। गोपाल के अलावा और कोई छुडाने नहीं आया था। उसके मुकेश ने मारी थी। उसकी पत्नी अच्छी देवी के साथ भी मारपीट करी थी। इस प्रकार गवाह की जिरह अखण्डित रही। गवाह ने अपने बयान में भंवरलाल के साथ हुई मारपीट को अपनी आंखों से देखे जाने के कथन किए हैं तथा अभियुक्तगण द्वारा उसके स्वयं के साथ व उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट किए जाने के कथन किए हैं। घटना का अन्य मजरूब मुन्ना पी0डब्ल्यू 5 के रूप में परीक्षित हुआ। गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किए हैं कि दिनांक 13.10.2014 को सुबह करीब 10.00—10.30 बजे का समय था। वह घर से बाहर था। मुकेश, रामधन, राकेश, झूंथाराम व पेमाराम उसके घर पर आए और उसके पिता के साथ मारपीट करने लगे। जब वह घर पर पहुंचा तो उसने अपने पिता को छुडाने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने उसके साथ व पिता, दादा—दादी व भाभी के साथ मारपीट की। मुकेश के पास कुल्हाडी थी। बाकी सबके पास सरिये व लकड़ियां थी। उसके बाएं हाथ पर मुकेश ने चोट मारी व उसे धक्का देकर गिरा दिया जिससे उसके गाल पर व कमर पर भी चोट आई। मुकेश व राकेश उसकी भाभी की सोने की चेन और गले का मंगलसूत्र तोडकर ले गए। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर सी से डी पर उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 3 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसके आई चोटों का मेडिकल मुआयना करवाया गया था तथा एक्स रे भी करवाया गया था। जिरह में गवाह ने कथन किए हैं कि दिनांक 14.10.2014 को एसएमएस में उसका व उसके पिता का इलाज हुआ था। उसके दादा व भाभी को जयपुर नहीं लेकर गये थे। उसके दाहिने हाथ पर चोटें आई थी। उसकी पीठ पर दो—तीन चोटें आई थी। उसके सिर पर पांच—सात जगह चोटें आई थी। पैरों पर दोनों जांघों पर दो—तीन

चोटें आई थी। एक चोट उसके दाहिने गाल पर भी आई थी। ये सब चोटें उसने डॉक्टर को बता दी थी। झगडा घर के सामने रास्ता है, वहां हुआ। उसके बाद घर के अंदर हुआ। उसके दादा के हाथ पैर व पीठ पर चोटें आई थीं। इस प्रकार गवाह की जिरह अखण्डित रही। गवाह मजरूब भंवरलाल पी0डब्ल्यू 1 व संतोष देवी पी0डब्ल्यू 6 द्वारा किए गए कथनों की ताईद करते हुए कथन करता है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ व उसके पिता, दादा–दादी व भाभी के साथ मारपीट की। मारपीट में उसके शरीर पर जगह–जगह चोटें आईं। परिवादी संजय पी0डब्ल्यू 2 के रूप में परीक्षित हुआ। गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किए हैं कि दिनांक 13.10.2014 को उसके पिता भंवरलाल ट्रेक्टर लेकर डीजल भरवाने जा रहे थे। रास्ते में राकेश, मुकेश व रामधन ने उसके पिता का रास्ता रोक लिया तथा उन पर हमला कर दिया। जब उसके पिता घर पर पहुंचे तो ये लोग पीछा करते हुए घर पर आ गए। उसकी भाभी संतोष के साथ राकेश व मुकेश ने मारपीट की और उसका मंगलसूत्र तोडकर ले गए। घर पर उसके दादा–दादी थे। उसके पिता जी के हाथ का अंगूठा तोडा दिया। गवाह ने अपनी जिरह में कथन किए हैं कि वह जयपुर रहता है। उसे झगडे की सूचना उसकी भाभी ने दी थी। उसे घटना के दिन 11.00 बजे सूचित किया गया। वह अस्पताल में शाम 3.30 बजे पहुंच गया था। वह घटनास्थल पर नहीं था। उसके सामने घटना नहीं हुई। इस प्रकार उक्त गवाह सुनी सुनाई साक्ष्य देने वाला साक्षी है जिसकी साक्ष्य से अभियोजन को बहुत अधिक सहायता प्राप्त नहीं होती है। गवाह अपनी जिरह में स्वीकार करता है कि वह घ टनास्थल पर मौजूद नहीं था। उसे घटना के बारे में उसकी भाभी ने सूचित किया था। घटना का अन्य साक्षी कानाराम पी0डब्ल्यू 7 के रूप में परीक्षित हुआ। गवाह ने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किए हैं कि आज से चार साल पहले 13 तारीख की बात है। वह आसलपुर पहाड़ी पर काम कर रहा था। उसके पास भंवरलाल का फोन आया कि मुकेश, कैलाश ने मारपीट की है। वह फुलेरा अस्पताल आया और एसएमएस जयपुर ले गया। भंवरलाल के हाथ पर चोट आई थी। उसने झगडा नहीं देखा। किस बात का झगडा था उसे पता नहीं है। गवाह ने अपनी जिरह में कथन किए हैं कि भंवरलाल जी उसके साले लगते है। वह आसलपुर से पैदल जोबनेर आया था तथा वहां से बस में बैठकर फुलेरा गया था। इस प्रकार गवाह अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कथन करता है कि उसने झगडा होते हुए नहीं देखा वह सीधे ही अस्पताल में पहुंचा था। उक्त गवाह के बयान से भी अभियोजन को बहुत

अधिक सहायता प्राप्त नहीं होती है। मजरूबान के आई चोटों को प्रमाणित करवाने हेतु अभियोजन की ओर से डॉ कौशलेश शर्मा पी0डब्ल्यू 10, डॉ राहुल पी0डब्ल्यू 11 व डॉ मनोज पी0डब्ल्यू 11 को परीक्षित करवाया गया है। डॉ कौशलेश पी0डब्ल्यू 10 ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किए हैं कि दिनांक 14.10.2014 को पुलिस प्रतिवेदन पर उसके द्वारा श्रीमती संतोष देवी की चोटों का मुआयना किया गया थ। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 6 है। संतोष देवी के चोट संख्या 1 दाहिने घुटने पर नील का निशान, चोट संख्या 2 दोनों कंधों में दर्द की शिकायत, चोट संख्या 3 कमर में दर्द की शिकायत थी। सभी चोटें साधारण प्रकृति की व कुन्द हथियार से कारित थी। प्रदर्श पी 6 पर ए से बी मजरूब व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। गवाह ने अपनी जिरह में कथन किए हैं कि चोट संख्या 1 कठोर धरातल पर गिरने से आ सकती है अथवा स्वकारित भी हो सकती है। चोट संख्या 2 व 3 पुराना दर्द भी हो सकता है। चोट संख्या 2 व 3 पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी। इस प्रकार गवाह की जिरह अखण्डित रही। गवाह ने मजरूब संतोष देवी के आई चोटों को प्रमाणित करवाया है। डॉ राहुल पी0डब्ल्यू 11 ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किए हैं कि दिनांक 15.10.2014 को पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर उसने डालूराम के शरीर पर आई चोटों का मुआयना किया था। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर मजरूब की अंगूठा निशानी है। डालूराम के शरीर पर निम्न चोटे आई थीः— चोट संख्या 1 खरोंच 3सेमीx7सेमी पीठ के नीचे वाले दाये तरफ, चोट संख्या 2 खरोंच 4सेमीx1सेमी दाये कुलहे पर, चोट संख्या 3 खरोंच 1सेमीx1सेमी बायें कुलहे पर। गवाह ने अपनी जिरह में कथन किए हैं कि घ टना के तीन दिन बाद 15.10.2014 को मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई है। चोटों की अवधि कम ज्यादा भी हो सकती है। सभी चोटें गिरने पडने से भी आ सकती है अथवा स्वकारित भी हो सकती है। गवाह की जिरह अखण्डित रही। गवाह ने मजरूब डालूराम के शरीर पर आई चोटों को भलीभांति प्रमाणित कराया है। डॉ मनोज बियानी पी0डब्ल्यू 11 के रूप में परीक्षित हुआ। गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किए हैं कि दिनांक 13.10.2014 को पुलिस प्रतिवेदन पर समय 12.20 पीएम पर उसने मजरूब भंवरलाल का मेडिकल मुआयना किया था। जिस पर निम्न चोटें आई थीः— चोट संख्या 1 दाई कोहनी पर सूजन 1सेमीx1सेमी, चोट संख्या 2 दायी अग्र भुजा पर खरोंच और सूजन 3सेमीx0.5सेमी, चोट संख्या 3 दाये हाथ में दर्द की शिकायत जिसमें कोई सूजन नहीं थी, चोट संख्या 4 बाएं हाथ में

दर्द की शिकायत और सूजन, चोट संख्या 5 बाएं घुटने में दर्द की शिकायत। सभी चोटें कुंद हथियार से कारित थी। चोटों की अवधि 6 घण्टे के भीतर की थी। चोट संख्या 1 लगायत 5 के लिए एक्स रे की राय दी थी। बाद एक्सरे चोट संख्या 1, 2 व 5 साधारण प्रकृति की थी। चोट संख्या 3 व 4 गंभीर प्रकृति की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 7 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 पर उसके हस्ताक्षर है। सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 9 लगायत 12 है। जिस रोज उसने मजरूब मुन्ना के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। मुन्ना के शरीर पर चोट संख्या 1 कुचला हुआ घाव, बायीं अग्र भुजा पर 1सेमीx0.5सेमीx0.5सेमी, चोट संख्या 2 खरोंचे चहरे के दायी तरफ गाल पर 2सेमीx2सेमी, चोट संख्या 3 सूजन कमर के बायी तरफ 3सेमीx3सेमी चोट संख्या 4 छाती में दर्ज की शिकायत जाहिरात चोट नहीं। सभी चोटें कुंद हथियार से कारित थी। चोट संख्या 2 साधारण प्रकृति की थी। सभी चोटें 6 घण्टे के भीतर की थी। चोट संख्या 1, 3 व 4 की प्रकृति जानने के लिए एक्सरे की राय ली गई थी। बाद एक्सरे सभी चोटें साधारण प्रकृति की पाई गई। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 13 उसका कलमी है। जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। गवाह ने अपनी जिरह में कथन किए हैं कि भंवरलाल की एक्सरे रिपोर्ट जो उसने तैयार की है उसकी उम्र तहरीर के अनुसार 74 वर्ष थी। एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 पर रिपोर्ट के नम्बर दर्ज है। परन्तु एक्सरे प्लेट के नम्बर नहीं है। भंवरलाल के 5 एक्सरे करवाये गए थे। इस प्रकार गवाह की जिरह अखण्डित रही। गवाह ने मजरूबान भंवरलाल व मुन्ना के आई चोटों को प्रमाणित करवाया है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समग्र मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का सूक्ष्मता से विवेचन व विश्लेषण करें तो हम यह पाते हैं कि सभी गवाहान भंवरलाल पी0डब्ल्यू 1, संतोष चौधरी पी0डब्ल्यू 6, डालूराम पी0डब्ल्यू 3, मुन्ना जाखड पी0डब्ल्यू 5 ने एक स्वर में कथन किए हैं कि अभियुक्तगण द्वारा उनके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की गई तथा मारपीट में उनके शरीर पर जगह–जगह चोटें आई। उक्त सभी गवाहान की जिरह अखण्डित रही है। उक्त गवाहान के बयानों में कोई गंभीर तात्विक विरोधाभास देखने को नहीं मिलता है। मजरूबान के शरीर पर आई चोटों को डॉ कौशलेश पी0डब्ल्यू 10, डॉ राहुल पी0डब्ल्यू 11 व डॉ मनोज बियानी पी0डब्ल्यू 11 ने भलीभांति प्रमाणित करवाया है। इसके अतिरिक्त विधि शास्त्र में घ टना में जख्मी व्यक्ति के साक्ष्य को अत्यधिक भारिता/महत्व प्रदान किया गया है

तथा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि जख्मी व्यक्ति के सत्य बोलने की उपधारणा है, जब तक कि उस तथ्य को अन्यथा साबित न कर दिया जावे। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत बालू सुदाम खालदे व अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र Criminal Appeal No. 1910 of 2010 (29 March 2023 को निर्णित) से भी मार्ग दर्शन प्राप्त किया गया। हाल ही में निर्णित उक्त न्यायिक दृष्टांत मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि "जहॉ कि किसी घटना का कोई साक्षी घटना मे स्वयं ही घायल हुआ है, ऐसे किसी साक्षी के साक्ष्य को अत्यधिक विश्वसनीय माना जाना चाहिए। घायल गवाह के साक्ष्य का साक्ष्यिक मूल्य अधिक है और जब तक बाध्यकारी कारण मौजूद न हो, उनके बयानों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए"। हस्तगत प्रकरण में भी गवाहान भंवरलाल पी0डब्ल्यू 1, डालूराम पी0डब्ल्यू 3, मुन्ना जाखड पी0डब्ल्यू 5, संतोष चौधरी पी0डब्ल्यू 6 सभी गवाहान घटना में जख्मी हुए हैं। उक्त सभी गवाहान ने अभियुक्तगण द्वारा उनके द्वार में घुसकर मारपीट किए जाने के सम्बन्ध में कथन किए हैं। बचाव पक्ष की ओर से ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जो यह दर्शाती हो कि उक्त सभी जख्मी गवाहान असत्य बोल रहे हैं। अभियोजन की ओर से बहुत ही सटीक और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। अभियोजन पक्ष ने यह संदेह से परे साबित किया है कि अभियुक्तगण ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक 13.10.2014 को समय सुबह प्रातः 10.00 बजे जाखडों की ढाणी तन माच्छरखानी फुलेरा पर भंवरलाल, मुन्ना, डालूराम, संतोष देवी को इच्छित दिशा में जाते हुए रोककर उनका सदोष अवरोध कारित किया तथा उनके साथ मारपीट करने का सामान्य आशय घटित किया और उक्त आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण द्वारा मजरूबान भंवरलाल, मुन्ना, डालूराम और संतोष देवी के साथ कुन्दालय से मारपीट कर उन्हें साधारण व घोर उपहति कारित की। अतः अभियुक्तगण मुकेश कुमार पुत्र गुल्लाराम उम्र 28 साल निवासी जाखड़ों की ढाणी तन माच्छरखानी थाना फुलेरा जिला जयपुर, रामधन पुत्र गुल्लाराम उम्र 32 साल निवासी जाखड़ों की ढाणी तन माच्छरखानी थाना फुलेरा जिला जयपुर व प्रेमचन्द पुत्र भूराराम उम्र 30 साल निवासी जाखड़ों की ढाणी तन माच्छरखानी थाना फुलेरा जिला जयपुर को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित है।

–::आदेश::–

10. अतः अभियुक्तगण 01. मुकेश कुमार पुत्र गुल्लाराम उम्र 28 साल निवासी जाखड़ों की ढाणी तन माच्छरखानी थाना फुलेरा जिला जयपुर, 2. रामधन पुत्र गुल्लाराम उम्र 32 साल निवासी जाखड़ों की ढाणी तन माच्छरखानी थाना फुलेरा जिला जयपुर, 03. प्रेमचन्द पुत्र भूराराम उम्र 30 साल निवासी जाखड़ों की ढाणी तन माच्छरखानी थाना फुलेरा जिला जयपुर को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(राहुल शर्मा)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांभरलेक, जिला जयपुर

दण्ड के बिन्दु परः–

11. दण्ड के बिन्दु पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि यह उनका प्रथम अपराध है। उनके विरूद्ध किसी पूर्व दोषसिद्धि बाबत् कोई तथ्य पत्रावली पर मौजूद नहीं हैं। उनकी अवस्था एवं ग्रामीण परिवेश तथा मुलजिम की उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुये अधिवक्ता अभियुक्तगण ने उनके प्रति नरमी का रूख अख्तियार किये जाने का निवेदन किया है। तथा परिवीक्षा का लाभ दिए जाने का निवेदन किया। विद्वान अभियोजन अधिकारी ने इसका विरोध करते हुये उचित दण्ड दिये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्षों के तर्को पर विचार किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण ने परिवादी को जान से मारने तथा महिलाओं के साथ मारपीट व छेडछाड करने का गंभीर अपराध कारित किया है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को आरोपित अपराध मे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

:: दण्डादेश ::

12. अतः अभियुक्तगण 01. मुकेश कुमार पुत्र गुल्लाराम उम्र 28 साल निवासी जाखड़ों की ढाणी तन माच्छरखानी थाना फुलेरा जिला जयपुर, 02. रामधन पुत्र

गुल्लाराम उम्र 32 साल निवासी जाखड़ों की ढाणी तन माच्छरखानी थाना फुलेरा जिला जयपुर, 03. प्रेमचन्द पुत्र भूराराम उम्र 30 साल निवासी जाखड़ों की ढाणी तन माच्छरखानी थाना फुलेरा जिला जयपुर को धारा 341, 323, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध करार किया जाकर निम्न दण्डादेश से दण्डित किया जाता हैः—

01. धारा 341 भा.द.सं के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्तगण को 1 माह के साधारण कारावास तथा 500/— रूपये जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्तगण 5 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेंगे।

02. धारा 323 भा.द.स. के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्तगण को 6 माह के साधारण कारावास तथा 500/— रूपये जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्तगण 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेंगे।

03. धारा 325/34 भा.द.स. के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्तगण को 1 वर्ष के साधारण कारावास तथा 1000/— रूपये जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्तगण एक माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेंगे।

अभियुक्तगण के कारावास की उपरोक्त मूल सजाएं साथ—साथ चलेगी। अभियुक्तगण के हस्तगत प्रकरण में रहे पुलिस अभिरक्षा एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को उनके कारावास की उक्त मूल सजा में समायोजित किया जावे।

अभियुक्तगण का सजा वारण्ट बनाया जावें। अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क आज ही दी जावें।

(राहुल शर्मा)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांभरलेक, जिला जयपुर

13. निर्णय आज दिनांक 21.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(राहुल शर्मा)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांभरलेक, जिला जयपुर